संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विभागाध्यक्ष कार्यालय, "इन्द्रावती भवन", द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, नया रायपुर (छ.ग.)
☎ 0771–2433001 फैक्स : 0771–2433002
E-mail : dir.horti-cg@nic.in, Website : http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi/

क्र./उद्यान/स्था/सी.भर्ती/2018–19/ 3152, नया रायपुर दिनांक 28-08-2018.

//सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र/एफ 3–36/2016/14–1 दिनांक 26.09.2017 द्वारा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ0ग0 रायपुर के अधीन वाहन चालक के 9, भृत्य के 14, एवं माली के 15 रिक्त पदों को सीधी भर्ती विभागीय परीक्षा के माध्यम से किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीनस्थ कार्यालयों एवं रोपणियों के उक्त रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 25.09.2018 तक शाम 05.00 बजे तक** परिशिष्ट– एक पर दिये गये जिला कार्यालयों में आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रस्तुत कर सकते हैं। सीधे जिला कार्यालय में आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

पद का नाम	पद श्रेणीवार				महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या (30%)				दिव्यांग श्रेणी के लिये 6%	भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%/20%				योग
	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
वाहन चालक	3	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
भृत्य	2	2	2	1	2	-	1	1	1	1	-	1	-	14
माली	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1	-	1	-	15

पद का नाम, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स + लेवल	शैक्षणिक योग्यता
1.	वाहन चालक	5200-20200 लेवल– 4	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. वैध चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए तथा हल्के मोटर यान चालन का अनुभव।
2.	भृत्य	4750-7440 लेवल– 1	पांचवी उत्तीर्ण
3.	माली	4750-7440 लेवल– 1	पांचवीं उत्तीर्ण

नियम एवं शर्ते :

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक – एफ 13–15/2012/आ. प्रा./1/3 दिनांक 18.07.2012 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियॉं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटि. (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं विज्ञप्ति किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

2. विज्ञापित पदों के लिये निर्धारित अर्हताऍं रखने वाले आवेदक अर्हता अनुरूप एक अथवा एक से अधिक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन कर सकेंगे किन्तु माली एवं भृत्य के पद हेतु एक समान शैक्षणिक अर्हता होने से एक ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। अतः दोनों पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को एक ही आवेदन कर आवेदन पत्र में पद की प्राथमिकता अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में अंकित प्राथमिकता एवं वरियता के आधार पर चयन किया जावेगा।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. विज्ञापन में जारी समस्त पदों हेतु चयन प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात प्रारंभिक चयन सूची जारी की जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसे– मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो परीक्षा तिथि के तीन वर्ष के अंदर का जारी किया गया हो (अन्य पिछड़ा वर्ग में कीमीलेयर निर्धारण हेतु) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र, जो आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व जारी किये गये हों, जो वैध एवं जीवित हो, का सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।
5. आवेदक आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्मतिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम तिथि के पूर्व का जारी किया हुआ समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता, वैध चालन अनुज्ञप्ति, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र ही केवल मान्य होगा।
6. **आयु सीमा** : छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17.12.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि कैलण्डर वर्ष 2018 तक बढ़ाई गई है। अतः अभ्यार्थी की आयु दिनांक 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

i. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
ii. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
iii. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
iv. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

v. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

vi. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

vii. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

viii. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष होगी।

ix. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

x. विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा एवं कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् पैदा हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

8. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखें जायेंगे।

9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा एवं पदस्थापना तत्समय रिक्त पदो के आधार पर की जावेगी पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

10. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. संबंधित का पुलिस चरित्र सत्यापन उपस्थिति के पश्चात कराया जावेगा। पुलिस चरित्र सत्यापन में अनुपयुक्त पाये जाने एवं गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति में संबंधित की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

13. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तो का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षो की परिवीक्षावधि पर की जावेगी।
14. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा।
15. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति उपरांत नियमानुसार छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के अध्याय 6 के नियम 42 अंतर्गत प्रावधानित अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तो के अनुसार अध्ययन अवकाश की पात्रता पूर्ण होने के पूर्व किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और न ही वे ऐसे अवकाश की मांग करेंगे। तद्नुसार सहमति/शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
16. वाहन चालक हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा आवेदक के पास वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति (हल्का मोटर यान) का होना आवश्यक है, तथा वाहन चालन का अनुभव भी होना चाहिए। भृत्य एवं माली हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
17. विभिन्न पदो के भर्ती हेतु चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र निहित शैक्षणिक अहर्ता के पाठ्यकम के अनुरूप होगा। पाठ्यकम वेबपोर्टल के अतिरिक्त विभागीय जिला कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।
18. वाहन चालक, भृत्य एवं माली पद के अहर्तानुसार आमंत्रित अभिलेखों के किसी भी समय किसी भी स्तर पर कराये गये सत्यापन पर गलत पाए जाने की स्थिति में अपात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया से तत्काल संबंधित को पृथक कर दिया जायेगा।
19. परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले कार्यालय से संबंधित को डाक द्वारा प्रेषित किया जावेगा। परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के सात दिन पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नंही होने की स्थिति में आवेदन प्रस्तुत किए गए कार्यालय से आवेदक स्वयं संपर्क कर प्रवेश पत्र परीक्षा आयोजन के एक दिन पूर्व के शासकीय कार्यदिवस को प्राप्त कर सकेंगे।
20. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा हुआ बिना टिकट लगाये तीन लिफाफा (9'x4' Size) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकेंगी या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।
22. शासन द्वारा नियमों/भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।
23. प्रतीक्षा सूची, जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
24. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
25. आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क की जानकारी :–
    1. आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 25.09.2018

2. परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग	:	रू. 350/–
अन्य पिछड़ा वर्ग	:	रू. 250/–
अ.ज.जा./अ.जा.	:	रू. 200/–

परीक्षा शुल्क का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा "संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर, छत्तीसगढ़" के नाम देय होगा।

3. अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4. **परीक्षा पद्धति एवं परिणाम :**

4.1 भृत्य एवं माली हेतु एक परीक्षा तथा वाहन चालक हेतु पृथक से परीक्षा आयोजित होगी, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी।

4.2 विभाग द्वारा उक्त पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 100 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तर सीट में काले डॉट पेन से प्रश्नों के आगे बने गोल बाक्स को भरना होगा।

4.3 प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है।

4.4 वाहन चालक के अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता सूची तैयार की जावेगी, जिसमें 1 पद के विरूद्ध 9 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी।

4.5 भृत्य, माली के प्रतियोगिता परीक्षा एवं वाहन चालक के अभ्यर्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार अंकों का निर्धारण कर वरियता सूची तैयार की जावेगी –

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता पर निर्धारित अंक का मूल्यांकन आधार	परीक्षा से प्राप्त अंक का मूल्यांकन आधार	स्किल टेस्ट पर अंक का मूल्यांकन
1.	वाहन चालक	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	भृत्य/माली	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	–

4.6 अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरियता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरियता दी जावेगी।

5. **दावा आपत्ति का निराकरण :** विषय विशेषज्ञों से प्रश्न प्रत्र विश्लेषण पश्चात् मॉडल उत्तर तैयार कराया जाकर परीक्षा उपरांत विभाग के वेबसाईट http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiHi/ पर अपलोड किया जावेगा। यदि किसी परीक्षार्थी को विभाग द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो मॉडल उत्तर जारी होने के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा आपित्त (किसी

गाईड बुक का प्रमाण मान्य नही होगा) ईमेल आई.डी. dir.horti-cg@nic.in से भेजा जा सकता है। बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण कर अंतिम रूप से मॉडल उत्तर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा, **अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नही किया जावेगा।**

6. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक परीक्षा उपरांत विभाग द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जावेगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त किया जायेगा। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है:—
   1. पद की संरचना गलत हो।
   2. उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो।
   3. कोई भी विकल्प सही न हो।
   4. मुद्रण त्रुटि हुई हो।
   5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को अंक प्रदाय किया जायेगा। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नही।
7. **परीक्षा परिणाम** : अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम विभाग के जिला कार्यालयों में एवं विभागीय वेबसाइट पर देख सकते है।
8. **पुर्नगणना/पुर्नमुल्यांकन** : पुर्नगणना/पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

28/8/18

(नरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
भा.व.से.
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र.	जिला	कार्यालय का पता	फोन नम्बर	ई–मेल आईडी
1.	रायपुर	कार्यालय, उप संचालक उद्यान, 105, आंनदनगर, रायपुर पिनकोड–492001	0771-2423044	horti-raipur.cg@gov.in
2.	बलौदाबाजार	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कमरा नं. –116, जिला–बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़) पिनकोड–493332	07727-222127	horti-balodabazar.cg@gov.in
3.	गरियाबंद	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, कक्ष कमांक–75/77, संयुक्त जिला कार्यालय, शौर्य पेट्रोल पंप के पास, देवभोग रोड, गरियाबंद पिनकोड–493889	07706-241567	horti-gariyaband.cg@gov.in
4.	महासमुंद	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान बीटीआई रोड, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, महासमुंद पिनकोड–493445	07723-224624	horti-mahasamund.cg@gov.in
5.	धमतरी	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान कमरा नं. 13, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर, रूद्री, धमतरी पिनकोड–493776	07722-209159	horti-dhamtari.cg@gov.in
6.	दुर्ग	कार्यालय उप संचालक उद्यान कलेक्टर कैम्पस, दुर्ग पिनकोड–491001	0788-2323698	horti-durg.cg@gov.in
7.	बालोद	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, शासकीय उद्यान रोपणी, झलमला, बालोद पिनकोड–491226	07749-212122	horti-balod.cg@gov.in
8.	बेमेतरा	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान कमरा नं. 50–51, जिला कार्यालय परिसर, पुराना बस स्टेण्ड, बेमेतरा,पिनकोड–491335	07824-222110	horti-bemetara.cg@gov.in
9.	राजनांदगांव	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, कक्ष क. 73 एवं 77, कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव पिनकोड–491441	07744-225034	horti-rajnandgaon.cg@gov.in
10.	कबीरधाम	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान प्रथम तल, कलेक्टोरेट कम्पोजिट बिल्डिंग, कबीरधाम पिनकोड–491995	07741-232564	horti-kabirdham.cg@gov.in
11.	बिलासपुर	कार्यालय उप संचालक उद्यान, रतनपुर रोड सरकण्डा, बिलासपुर,पिनकोड–495001	07752-260448	horti-bilaspur.cg@gov.in
12.	मुंगेली	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, शिवाजी वार्ड, नवागढ़ रोड, नया बस स्टैण्ड के पास, मुंगेली पिनकोड–495334	07755-274268	horti-mungeli.cg@gov.in
13.	जांजगीर	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, मेनरोड, केम्पकुलीपुट्टा, जांजगीरचांपा	07817-222957	horti-janjgir.cg@gov.in
14.	कोरबा	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान आई.टी.आई. रामपुर (डिंगापुर), पुराना एसपी ऑफिस, कोरबा पिनकोड–495677	07759-227028	horti-korba.cg@gov.in
15.	रायगढ़	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, दक्षिण चक्रधर नगर, जनपद पंचायत कार्यालय के सामने, रायगढ़ पिनकोड–496001	07762-223039	horti-raigarh.cg@gov.in
16.	सरगुजा	कार्यालय, उप संचालक उद्यान, रामानुजगंज नांका के पास, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा पिनकोड–497001	07774-240835	horti-surguja.cg@gov.in

क्र.	जिला	कार्यालय का पता	फोन नम्बर	ई–मेल आईडी
17.	सूरजपुर	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, उप संचालक कृषि कार्यालय के बगल में, जेलरोड, सूरजपुर पिनकोड 497229	07775-266072	horti-surajpur.cg@gov.in
18.	बलरामपुर	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, जिला– बलरामपुर	07831-273096	horti-balrampur.cg@gov.in
19.	जशपुर	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, हाउसिंग बोर्ड कलोनी के पास, जशपुर	07763-223692	horti-jashpur.cg@gov.in
20.	कोरिया	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, बाजार पारा, हनुमान मंदिर के सामने, जिला– कोरिया	07836-232496	horti-korea.cg@gov.in
21.	जगदलपुर	कार्यालय, उप संचालक उद्यान, आयुक्त कार्यालय, द्वितीय मजिल, कक्ष क्र.– 9, जगदलपुर पिनकोड–494001	07782-223357	horti-jagdalpur.cg@gov.in
22.	कोण्डागांव	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, तहसीलपारा, अस्पताल वार्ड, कोण्डागांव पिनकोड–494226	7786242010	horti-kondagaon.cg@gov.in
23.	कांकेर	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जगदलपुर रोड, शासकीय उद्यान रोपणी सिगांरभाट, जिला–कांकेर	07868-222113	horti-kanker.cg@gov.in
24.	दन्तेवाड़ा	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, ब्लॉक कालोनी, कटेकल्याण रोड, जिला– दंतेवाड़ा पिनकोड–494449	07856-252227	horti-dantewada.cg@gov.in
25.	सुकमा	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, कमरा नं.–22, संयुक्त जिला भवन, कुम्हरास, सुकमा– पिनकोड–494111	07864-284264	horti-sukama.cg@gov.in
26.	नारायणपुर	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, कलेक्ट्रेट परिसर, द्वितीय मंजील, कक्ष कमाक 82, नारायणपुर पिनकोड–494661	07781-252906	horti-narayanpur.cg@gov.in
27.	बीजापुर	कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान, जिला पंचायत परिसर, बीजापुर पिनकोड–494444	07853-200674 07853-220120	horti-bijapur.cg@gov.in

परिशिष्ट–2

वाहन चालक की सीधी भर्ती हेतु पाठ्यक्रम

भर्ती नियम अनुरूप शैक्षणिक अर्हता– कक्षा 8 वीं

विषय – मातृभाषा– हिन्दी **नियत अंक– 20**

1. सुनना– पाठ्यपुस्तक एवं अन्य संदर्भ साहित्य की बातों को सुनकर अर्थ ग्रहण एवं तार्किक विश्लेषण
2. लिखना– पाठ्यपुस्तक के गद्यांशों एव पद्यांशों के संदर्भ सहित अर्थ लिखना, विश्लेषण करना एवं सतत् लेखन कर सकना
3. बोलना– विद्यालय एवं समाज में आयोजित समारोहों में सहभागिता करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, सुने हुए या पढ़े हुए संदर्भों का प्रश्न कर सकना एवं विचारों को व्यक्त करना।
4. पढ़ना– पाठ्यपुस्तक की सामग्री को पढ़कर समझना तथा अर्थ ग्रहण करना, अन्य पुस्तकों को पढ़ना, शब्द भंण्डार बढ़ाना, अन्य बोलियों के साहित्य का अध्ययन

विषय – सामाजिक विज्ञान **नियत अंक– 20**

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्वबंधुत्व की भावना और मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करना, पर्यावरण, भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक तथ्यों, आदर्श नागरिक और शासन तंत्र के पारस्परिक संबंधों का व्यवहारिक ज्ञान, छत्तीसगढ़ी ग्रामोद्योग, सामाजिक कौशल का विकास, चित्र, रेखाचित्र व मानचित्र द्वारा अध्ययन

1. भूगोल– वायुमंडल, तापमान, भारत, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्कन का पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरूस्थल, उत्तरी अमेरिका प्राकृतिक बनावट एवं जलवायु
2. इतिहास– आधुनिक यूरोप का उदय, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज में नये विचार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय गणतंत्र की स्थापना
3. नागरिक शास्त्र– हमारा संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, केन्द्र की शासन व्यवस्था, कर, भारत में कृषि का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत की विदेश नीति एवं सूचना का अधिकार।

विषय – संस्कृत **नियत अंक– 10**

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लकार, कारक, कृदन्त, तद्धित, संधि, समास, अनुवाद, पत्र लेखन एवं रंचना।

विषय – गणित **नियत अंक– 20**

वर्ग एवं धन, घातांक, सामान्तर रेखाएँ, बीजीय व्यंजक का गुणा एवं भाग, वृत्त एवं उसके अवयव, सांख्यिकी, सर्वसमिकाएँ, बहुभुज, चतुर्भुज की रचना, समीकरण

विषय – सामान्य विज्ञान **नियत अंक– 20**

ब्रम्हाण्ड, मिट्टी– प्रकार, निर्माण एवं संरचना, मिट्टी के संगठक तत्व–वनस्पतियॉ, छ.ग. के संदर्भ में, मिट्टी प्रदूषण और अपरदन तथा संरक्षण
वायु, रासायनिक क्रियाए, धातुएँ तथा अधातुएँ, कार्बन, संगठन का कोशिकीय स्तर, सूक्ष्म जीव, प्रकाश, चुम्बकत्व तथा विद्युत–धारा, ऊर्जा के स्त्रोत, खाद्य उत्पादन एवं

विषय – अंग्रेजी नियत अंक– 10

Vocabulary, Grammar and Structures- words, classes (nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunction.

Modals & Auxiliaries, Tense forms, Passivisation, Words formation, Interrogatives Thematic control & The mode of presentation

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
05.08.2018		
श्री मनोज अम्बष्ट,	श्री के. के. पाण्डेय	श्री व्ही. के. चतुर्वेदी
सहायक संचालक उद्यान	उप संचालक उद्यान	संयुक्त संचालक उद्यान
प्रमुख उद्यान, रायपुर	संचालनालय रायपुर	संचालनालय, रायपुर

परिशिष्ट–3

माली एवं भृत्य पद की सीधी भर्ती हेतु पाठ्यक्रम

भर्ती नियम अनुरूप शैक्षणिक अर्हता– कक्षा 5 वीं

विषय – गणित — नियत अंक– 25

1. दश हजार से आगे की संख्याएँ अंको शब्दों में लिखना बढ़ते क्रम में लिखना
2. दशमलव का परिचय
3. मापन मुद्रा, लम्बाई, भार धारित, दशमलव का प्रयोग करते हुये रूपांतरण करना
4. समय, मिनट से घण्टों, घण्टें से मिनट बनाना
5. लाभ–हानि, औसत, एकिक नियम
6. कोण ज्यामिती– त्रिभुज आयात वर्ग के क्षेत्रफल हेतु सूत्र का प्रतिवादन, मानक पैमाना
7. आंकड़ों का निरूपण लिये गये आंकड़ों का दो आयामों में प्रदर्शन आंकड़ों का सार की बद्ध करना आंकड़ों का दण्डालेख के रूप में प्रदर्शन
8. भिन्न तुल्य भिन्न का सरलतम रूप दो भिन्नों को जोड़ एवं घटाना
9. अपवर्त्य और अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समावर्तक
10. पेर्टन एवं पहेलियॉ पेटर्न आगे बढ़ाना नये पैटर्न बना सकना

विषय – मातृभाषा — नियत अंक– 25

1. सुनना–विभिन्न आयोजनों के दिये गये निर्देशों को समझना, रेडियो, टी.वी. के समाचार आदि समझना, नाटक एवं भाषण प्रतियोगिताओं को सुनके समझना।
2. बोलना (i) वाद–विवाद प्रतियोगिताओं में अपने विचारों को आत्मविश्वास पूर्वक प्रकट करना
   (ii) अपने विचार निर्भिकता पूर्वक प्रकट करने प्रोत्साहित करना झिझक दूर करना
3. लिखना– पत्र व्यवहार के प्रयोग होने वाले संबोधनों, अभिवादनों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखना स्पष्ट, सुडौल लेखन
4. विचारों का बोधन– किसी सामाजिक घटना जैसे, बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़ीवादी आदि पत्र प्रक्रिया, व्यक्त करना
5. शब्दावली– नियंत्रण, पढ़कर समझने का लगभग 5000 शब्दों का भंडार अर्जित करना

05.06.2018 05/06/18

विषय – पर्यावरण अध्ययन **नियत अंक– 30**

1. वनो से लाभ– वनों के उत्पाद, वन संरक्षण, बांस का उपयोग
2. शरीर के अंग– संरचना एवं उनके कार्य, भोजन एवं पाचन प्रणाली, आवश्यक एवं महत्व
3. नदी का उद्‌गम, बहाव, विभिन्न उपयोग सिंचाई एवं दैनिक कार्य में नदी का महत्व
4. ऊर्जा के स्त्रोत– परम्परागत एवं गैर परम्परागत ऊर्जा की आवश्यकता की जानकारी, उपयोगिता महत्व एवं बचत
5. देश एवं प्रदेश की कुछ महत्व ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी स्थान, निर्माणकर्ता विश्लेषण
6. मानव रोग एवं उनसे बचाव रोग के कारक, परिणाम प्रतिरोधक टीके
7. विशेष समूह व्यक्तियों–संवेदनशीलता जागरूकता का विकास शारिरिक विकलांगता के कारण बचने के उपाय
8. मानचित्र की समझ नक्शा पढ़ना, नक्शा बनाना संकेतों को पढ़ पाना, पैमाने की समझ दिशाओं का बोध, तुलना करना।
9. राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्हों का ज्ञान, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, छ.ग. की शिल्पकला, छ.ग. की महान व्यक्तित्व एवं छ.ग. के प्रमुख उत्सवों का परिचय
10. उद्योगों में छ.ग. भिलाई इस्पात संयंत्र का योगदान लौह अयस्क प्राप्त करने का स्थान

विषय – अग्रेजी भाषा **नियत अंक– 20**

General Objectives at Primary level
The course ains at ensuring the leraner's ability

1. Use context appropriate- Language
2. Listen, Speak, read and write with understanding
3. Use wide and appropriate range of vocabulary items
4. Think & Use language creatively
5. Appreciate and respond to the patterns
6. Appreciate language variations
7. Produce language that is intellingible to speech and writing
8. Get motivated instrumentally and integratedly towards english

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
05.06.2018		
श्री मनोज अम्बष्ट,	श्री के. के. पाण्डेय	श्री व्ही. के. चतुर्वेदी
सहायक संचालक उद्यान	उप संचालक उद्यान	संयुक्त संचालक उद्यान
प्रमुख उद्यान, रायपुर	संचालनालय रायपुर	संचालनालय, रायपुर